न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़
पीठासीन अधिकारीः- पंकज शर्मा, RAS

प्रकरण सं. 113/2018 प्रार्थना पत्र

1. राधेश्याम पिता किशनलाल, जाति धाकड़, आयु वयस्क, निवासी बांगेडा घाटा, तहसील निम्बाहेड़ा।
2. सुनिल पिता सुरेश धाकड़, आयु वयस्क, निवासी बांगेडा घाटा, तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़।

– प्रार्थीगण

//बनाम//

राज. सरकार जरिये तहसीलदार, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तोडगढ़।

– विपक्षी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा. भू राज.अधि.
श्री रामेश्वरलाल धाकड़, अधिवक्ता प्रार्थीगण, उपस्थित

निर्णय दिनांक 27.08.2019

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया की वाके मौजा बांगेडा घाटा, तहसील निम्बाहेड़ा में प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात खाता संख्या 51 की आराजी नं. 134 मीन रकबा 0.2200 हेक्टेयर तथा आराजी नं. 134 रकबा 1.0800 हैक्टेयर भूमि कुल किता 2 कुल रकबा 1.3000 हेक्टेयर कुल लगान 6.50 रूपये भूमि स्थित है। प्रार्थीगण ने उक्त भूमि मूल खातेदार कमल सिंह, तेज सिंह, मुकेश सिंह, कविता देवी पिता जगदीश राजपुत व श्रीमती भगवती देवी पत्नी जगदीश राजपुत निवासी कनेरा से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र से क्रय की है तथा वक्त क्रय से ही प्रार्थीगण उक्त भूमि पर काविज होकर बतौर खातेदार काश्तकार उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं। मूल खातेदारान ने उक्त भूमि को उपजाउ बनाया व काबिल काश्त बनाया, विकसित किया तथा प्रार्थीगण ने उक्त भूमि को खरीदकर उस पर लागत लगाई तथा काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं। सेटलमेण्ट से पूर्व उक्त भूमि का नक्शा ट्रेस में सही तरमीम था तथा उसी अनुसार प्रार्थीगण ने भूमि को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था तथा उसी नक्शे अनुसार काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। वर्तमान में सेटलमेण्ट अधिकारियों ने बगैर पूर्व नक्शे और प्रार्थीगण के कब्जे को ध्यान में रखे उक्त भूमि को अन्यत्र जगह तरमीम कर दिया तथा प्रार्थीगण के कब्जे की भूमि को चारागाह भूमि में शामिल कर दिया। जबकि प्रार्थीगण व उसरो पूर्व मूल खातेदार आरम्भ से ही उक्त भूमि पर पूर्व नक्शा अनुसार काबिज काश्त हैं। कदीम से उक्त भूमि पर खेती करते चले आ रहे हैं तथा

Scanned by CamScanner

उस भूमि पर काफी लागत लगाकर उसे उपजाउ बनाया है, उक्त भूमि पर सुरक्षा हेतु चारदिवारी बना रखी है तथा फसल उगाते चले आ रहे हैं। सेटलमेण्ट अधिकारियों की गलती से नवीन सेटलमेण्ट में उक्त भूमि पुराने नक्शे अनुसार तरमीम नहीं करते हुए गलत जगह तरमीम कर दी गई है। उक्त भूमि पर आज भी प्रार्थीगण पुराने नक्शे अनुसार काबिज काश्त हैं तथा वर्तमान में भी प्रार्थीगण की फसल खड़ी है तथा मौके पर सुरक्षात्मक चारदिवारी एवं दरवाजा भी लगा रखा है। प्रार्थीगण व उससे पूर्व मूल खातेदार इसी स्थान पर बरसों से काबिज काश्त है। नवीन सेटलमेण्ट में प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि को बहुत दूर दर्शा दिया गया है जबकि प्रार्थीगण आज भी उसी स्थान पर काबिज काश्त हैं। प्रार्थीगण की आराजीयात को वर्तमान में चारागाह में अंकित कर दिया गया है जो बिल्कुल गलत है। प्रार्थीगण साबिक नक्शा ट्रेस एवं कब्जे अनुसार संशोधन कराने के अधिकारी हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे तथा साबिक नक्शा ट्रेस और मौके पर प्रार्थीगण के कब्जे अनुसार संशोधन करते हुए प्रार्थीगण की आराजी को नक्शा ट्रेस में पूर्वानुसार अंकित किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने अपने पत्रांक/राजस्व/2019/248, दिनांक 29.03.2019 के माध्यम से रिपोर्ट प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि उक्त भूमि मूल खातेदार को आवंटित की गई थी तथा वक्त आवंटन से ही खातेदार वर्तमान स्थान पर काबिज हैं। मौके पर कब्जा व फसल है तथा चारदिवारी व कमरा बना हुआ है। गत भू प्रबन्ध में इस भूमि का खसरा नम्बर 51/3 रकबा 6 बीघा था। नवीन सेटलमेण्ट में प्रार्थी जहां काबिज है वहां तरमीम नहीं होकर खसरा नम्बर 134 में तरमीम कर दी गई है जहां प्रार्थीगण का कब्जा नहीं है। साथ ही तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए रेकार्ड में संशोधन किये जाने की अनुशंपा की है एवं तरमीम किया जाना उचित बताया है।

बहस सुनी गई। मिसल का अवलोकन करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रार्थी ने नकल जमाबन्दी संवत 2071-74 ग्राम बांगेडा घाटा की खाता संख्या 51 व 629 की प्रमाणित प्रति, नक्शा ट्रेस ग्राम बांगेडा घाटा की दोनों प्रश्नगत आराजीयात का प्रस्तुत किया है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने भी ग्राम बांगेडा घाटा की नकल जमाबन्दी संवत 2071-74 की खाता संख्या 51, 629 मिलान क्षेत्रफल ग्राम बांगेडा घाटा व नक्शा ट्रेस बांगेडा घाटा की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत की है और संशोधन प्रस्ताव और प्रस्ताव अनुसार नक्शा ट्रेस प्रस्तुत किये हैं। अधिवक्ता प्रार्थी ने लिखित बहस प्रस्तुत की है तथा पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 30.10.2014 की छायाप्रति, राधेश्याम पिता किशनलाल धाकड़, सुनील पिता सुरेश धाकड़, गोपाललाल पिता मांगीलाल धाकड़, कंवरलाल पिता लक्ष्मीचंद तेली, कैलाशचन्द्र पिता श्रीलाल धाकड़, सुरेशचन्द्र पिता लाभचन्द धाकड़, मोतीलाल पिता मूलचन्द

Scanned by CamScanner

रेगर, बंशीलाल पिता नारायण कुम्हार के शपथ पत्र प्रस्तुत किये हैं। बहस में अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए साबिक रेकार्ड एवं मूल रेकार्ड में अन्तर बताते हुए आरम्भ से कब्जा वर्तमान अनुसार ही बताया है। साथ ही वर्तमान कब्जे अनुसार ही तरमीम किये जाने का निवेदन किया है। साबिक रेकार्ड अनुसार प्रार्थी का कब्जा आरम्भ से ही आराजी नं. 510 मी पर चला आ रहा था। साबिक नक्शा ट्रेस में उक्त भूमि की तरमीम नहीं थी। बाद सेटलमेण्ट उक्त भूमि के नवीन नम्बर 1028/2071 पडे परन्तु सेटलमेण्ट कर्मचारियों द्वारा प्रार्थीगण की भूमि को अन्यत्र भूमि आराजी नं. 134 में तरमीम कर दिया गया है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा की रिपोर्ट एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत गवाहों के शपथ पत्रों से भी प्रार्थीगण के कथनों की ताईद होती है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः तहसीलदार निम्बाहेड़ा की रिपोर्ट के आधार पर एवं साबिक नक्शा ट्रेस एवं नवीन नक्शा ट्रेस में प्रकट अन्तर के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रश्नगत भूमि मौजा बांगेडाघाटा की खाता संख्या 51 की आराजी नं. 134 रकबा 1.3000 हैक्टेयर भूमि में निम्नानुसार संशोधन के आदेश दिये जाते हैं-

क्र. सं.	वर्तमान प्रविष्ठी			प्रस्तावित संशोधन		
	आराजी नं.	रकबा हेक्टेयर में	नाम खातेदार	आराजी नं.	रकबा हेक्टेयर में	नाम खातेदार
1	134मीन	0.22	राधेश्याम पिता किशनलाल धाकड़	1028/2071 दक्षिण	0.22	राधेश्याम पिता किशनलाल धाकड़
2	134	1.08	सुनिल पिता सुरेश धाकड़, सा. देह	1028/2071 उत्तर	1.08	सुनिल पिता सुरेश धाकड़, सा. देह
3	1028/2071	10.80	चारागाह	134 मी 134 1028/2071	0.22 1.08 9.50	चारागाह

उपर्युक्तानुसार एवं संलग्न नक्शा ट्रेस में प्रदर्शित अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आज दिनांक 27.08.2019 को सरे इजलास सुनाया जाकर कम्प्युटराईज कराया गया।

27/8/19

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Sharma
Date: 2020.03.14 14:46:13 IST
Reason: SelfAttested
Location: